

का.आ.सं.- ईडी/ 30 /2021

संख्या: ईडी/839/FU/MACPS/BWSM-MOCG भाग-1

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय,  
रतलाम

दिनांक : 05.02.2021

**:: कार्यालय आदेश ::**

विषय : एमएसीपीएस के तहत 10,20,30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वित्तीय उन्नयन का लाभ देने देने बाबत्-सामान्य प्रशासन विभाग (MOCG/BWSM) समूह, रतलाम मण्डल।

- संदर्भ : 1.इस कार्यालय का नोट क्रमांक: वरि.मं.का.अधि./रत/विविध/2017 दिनांक 26.06.2018।  
2.इस कार्यालय का नोट क्रमांक: वरि.मं.का.अधि./विविध/2020 दिनांक 09.07.2020।  
3.रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या: PC-V/2016/MACPS/1 दिनांक 19.12.2016।  
4.इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 04.08.2020।  
5.महाप्रबंधक(स्था)-चर्चगेट का पत्र संख्या: EP 839/0 Vol.IV. Sr. NO.21 दिनांक 22.10.2009।  
6.महाप्रबंधक(स्था)-चर्चगेट का पत्र संख्या: EP/839/O(2021) दिनांक 14.01.2021।

---XXX---

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र दिनांक 04.08.2020 के तहत कर्मचारी श्री राधेश्याम मीणा, मुख्य कार्यालय अधीक्षक (लेवल-7) अधीन Sr.DEE(Power)-RTM को एमएसीपीएस के तहत 10,20,30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वित्तीय उन्नयन का लाभ देने हेतु स्क्रूनिंग कमेटी द्वारा तीन वर्षों की एपीएआर "VERY GOOD" नहीं होने के कारण एमएसीपीएस हेतु अनुपयुक्त पाया गया था।

मुख्यालय के संदर्भित पत्र क्र.-5 व 6 के अनुसार स्क्रूनिंग कमेटी द्वारा कर्मचारियों की तीन वर्षों की एपीएआर की ग्रेडिंग का औसत लेकर एमएसीपीएस हेतु उपयुक्तता की जाँच की जानी है। तदनुसार स्क्रूनिंग कमेटी द्वारा एपीएआर की ग्रेडिंग के औसत के आधार पर कर्मचारी श्री राधेश्याम मीणा को एमएसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ देने हेतु उपयुक्त पाया गया है, जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदनुसार कर्मचारी का वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम सर्वश्री       | पदनाम / यूनिट                  | वर्तमान ग्रेडपे/ वेतन/ दिनांक | एमएसीपीएस के तहत दिया गया लाभ |  |  | टिप्पणी  |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|          |                                |                                |                               | ग्रेडपे                       | वेतन रु.                                 | दिनांक   |  |
| 1        | राधेश्याम मीणा<br>508-15124101 | Ch.OS<br>Sr.DEE(Power)-<br>RTM | 4600<br>70000/-<br>01.07.2020 | 4600<br>4800                  | 66000/-<br>68000/-<br>70000/-<br>72100/- | 01.07.2018<br>01.09.2018<br>01.07.2019<br>01.07.2020 | -<br>तृतीय एमएसीपीएस<br>वा.वे.वृ.<br>वा.वे.वृ. |

उपरोक्तानुसार कटोत्रा/भुगतान की व्यवस्था संबंधितों द्वारा किया जावे।

वित्तीय उन्नयन का लाभ देने पर कर्मचारी को ग्रेडपे के मान से पदनाम / दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कर्मचारी को उपरोक्त वेतन निर्धारण से कोई आपत्ति हो तो 01 माह के अंदर अपना आवेदन उचित माध्यम द्वारा इस कार्यालय को भेजे, उसके पश्चात् किसी भी आवेदन / शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(दीपक परमार)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते: वरि.मं.का.अधि./रतलाम

**प्रतिलिपि :-**

वरि.मं.वि.प्रबं., वरि.मं.का.अधि., वरि.मं.बि.इंजी.(पावर), सहा.का.अधि.(I/II/III)- रतलाम

मुकाधी- ईडी, पावर, वेतन, डीएआर, लि.से.पु., पास, आवास, अवकाश, प्राईम सेल, यूनिशन सेल, मुकानि, संबंधित कर्मचारी मंडल मंत्री- वेरेमसं, वेरेएयू / सचिव- एससीएसटी एसौ., ओबीसी एसौ.- रतलाम मंडल।